राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः 9(1)गृह–10/2016 जयपुर, दिनांक 25/4/17

समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,

(राजस्थान)।

विषयः– प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जाने की सूचना के सम्बन्ध में।
सदर्भ :– इस विभाग का पत्र दिनांक 22.2.2017

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा आपको यह लिखा गया था कि राज्य सरकार ने जिन प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने का निर्णय लिया है, उन प्रकरणों में आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करावे।

उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा किसी विशेष प्रकरण को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु निर्देश प्रदान नहीं किये गये थे। राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र के संदर्भ में प्रकरण न्यायालय से वापस लिये जा रहे है, जो उचित नहीं है।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप किसी प्रकरण विशेष को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु उसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पेश करे जब आपको उस प्रकरण विशेष हेतु विशिष्ट आदेश प्राप्त हो।

संलग्नः संदर्भित पत्र

25/4/17
(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला मजिस्ट्रेट
2. जिला पुलिस अधीक्षक

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ट शासन सचिव गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी